न्यायालयः– अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) अजमेर

———————

पीठासीन अधिकारी – **उत्तमा माथुर, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

———————

जमानत प्रार्थना पत्र सी.आई.एस. सं. 117/2026

———————

फकरूद्दीन उर्फ सलीम पुत्र श्री अल्लाबक्श, आयु 50 वर्ष, निवासी म.न.–229/20, शोरगरान मौहल्ला, दरगाह, अजमेर।

– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, अजमेर। **– अभियोगी**

———————

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सेशन प्रकरण संख्या–303/2025) सरकार बनाम अहसान कुरैशी वगैरह, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.–215/2025, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर अपराध अन्तर्गत धारा–103(1), 109(1), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 126(2), 333, 189(4), 61(2), 331(7) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री उरप्रीतसिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
2. श्री नरेश कुमार, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य सरकार।

———————

आदेश

दिनांक : 07 मार्च, 2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा–482 बीएनएसएस प्रस्तुत किया गया, नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.07.2025 को मजरूब/परिवादी इरफान पुत्र अब्दुल रहीम ने जेएलएनएच अजमेर मे मजरूबी अवस्था मे पर्चा बयान किया कि आज दिनांक 15.07.2025 को दिन में करीब 2.00 बजे वह, उसका भाई इमरान, भतीजा शहनवाज, शाहबाज, शाहरुख, सलमान सभी दुकान पर काम कर रहे थे तभी अब्दुल अली पुत्र अल्लाबक्स, गुलाम नसरुद्दीन उर्फ कापू पुत्र अल्लाह बक्स, मोहम्मद अली पुत्र अल्लाह बक्स, सलीम

AUTHENTICATED DOCUMENT

पुत्र अल्लाह बक्स, गुलाम मोईनुद्दीन उर्फ टीपू पुत्र अल्लाह बक्ष, अहसान पुत्र मोहम्मद अली, युनुस पुत्र मोहम्मद अली, सलमान पुत्र अब्दुल अली, अल्लाह बक्ष पुत्र अब्दुल अली, इमरान पुत्र अब्दुल अली, आवेश पुत्र अब्दुल अली, लियाकत पुत्र अब्दुल अली, जिशान पुत्र गुलाम फखरुद्दीन, अयान पुत्र गुलाम मोईनुद्दीन व अन्य साथीगण के साथ हथियारों से लैस होकर चाकू, छूरे, बेसबॉल, डंडे आदि लेकर उलकी दुकान पर आकर उनके ऊपर हमला कर दिया। जिससे उसके, उसके भाई इमरान, भतीजे शहनवाज, शाहबाज, शाहरुख, सलमान उन सभी के गंभीर चोटें आई। उसके पेट मे छूरे की मारी, उसके भाई इमरान व भतीजे शहनवाज के भी चाकू छूरे से सिर, छाती, कमर पर चोटें मारी तथा शाहबाज, शाहरुख, सलमान के भी गंभीर चोटें आई। उसी दौरान उसके मित्र नईम व अकरम ने आकर छुडवाया। उन सभी को घायल अवस्था में जेएलएनएच लेकर आए। उसके भाई इमरान व भतीजे शहनवाज के गंभीर चोटें आने से मृत्यु हो गई। इन सभी ने मिलकर, अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर, उसकी दुकान में घुसकर उनके साथ यह घटना कारित की है.....आदि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना रामगंज, अजमेर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.–215/2025 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण शाहनवाज अब्बासी उर्फ राजा वगैरह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–103(1), 109(1), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 126(2), 333, 189(4), 61(2), 331(7) भारतीय न्याय संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

3. अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह तर्क प्रस्तुत किए गए है कि पुलिस थाना रामगंज, अजमेर उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को गलत तरीके से लिप्त कर गिरफ्तार किए जाने पर आमादा है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं सेशन प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध कारित नहीं किया है, ना ही उसके विरूद्ध ऐसी कोई मौखिक, इलेक्ट्रोनिक/दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे उसका घटना में शामिल होना व मजरूबान के चोटें कारित किया जाना दर्शित होता हो। प्रार्थी/अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का रिश्तेदार व परिवारजन होने के कारण गलत तरीके से प्रकरण में लिप्त किया जा रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त 50 वर्षीय व्यक्ति है, जिसके गिरफ्तार होने से उसके परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त पते का स्थाई निवासी है, जिसके पलायन की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय द्वारा पारित समस्त आदेश की पालना करने व आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार एवं तत्पर है, अन्त में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अभियुक्त को

AUTHENTICATED DOCUMENT

गिरफ्तारी की दशा में अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. उक्त तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर बैंच** की न्यायिक नजीर **"Jugal Vs. State of Rajasthan" SB Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 dt. 25.11.2020** की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्राप्त आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	एफआईआर नं.	पुलिस थाना	धारा	नतीजा
1.	126/1997	गंज, अजमेर	चालान–99/1997 दि. 05.09.1997 धारा 143, 341, 324, 307 IPC	दोषमुक्त
2.	199/1994	––	चालान–161/1994 दि. 30.1.1994 धारा 147, 323, 427 IPC	सजा

6. प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को गलत तरीके से लिप्त कर गिरफ्तार किए जाने पर आमादा है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं सेशन प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध कारित नहीं किया है, ना ही उसके विरूद्ध ऐसी कोई मौखिक, इलेक्ट्रोनिक/दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे उसका घटना में शामिल होना व मजरूबान के चोटें कारित किया जाना दर्शित होता हो। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि प्रकरण के इस स्तर पर यह निर्णय नहीं किया जाना है कि अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित की गई है अथवा नहीं, प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त घटना में संलिप्त था एवं मौके पर शहनवाज, इमरान कुरैशी व शाहरूख के साथ हथियार व डण्डों से मारपीट कारित की गई है, जिससे ईलाज के दौरान शहनवाज व इमरान दोनों की मृत्यु हुई है। पत्रावली पर मौजूद फर्द विश्लेषण सीसीटीवी फुटेज में भी अभियुक्त फकरूद्दीन उर्फ सलीम को मौके पर देखे जाने का तथ्य रिपोर्ट में अंकित है तथा दौराने अनुसंधान अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित था, इस बात की पुष्टि अभियुक्त के मोबाईल की कॉल डिटेल व लोकेशन से भी होती है। इस स्तर

AUTHENTICATED DOCUMENT

पर अभियुक्त का घटनास्थल पर उपस्थित होना व गवाहों द्वारा अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा घटना कारित किए जाने के तथ्यों की पुष्टि को देखते हुए अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में अभी प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण नहीं किया गया है। अभियुक्त को प्रकरण के इस स्तर पर अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना सम्पूर्ण अनुसंधान को प्रभावित करेगा व अभियुक्त द्वारा अभी तक अनुसंधान में भाग भी नहीं लिया गया है। अतः हस्तगत प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना, कारित अपराध की गम्भीरता को देखते हुए, प्रकरण में अभियुक्त अग्रिम जमानत का हकदार नहीं पाए जाने से अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

7. परिणामस्वरूप **प्रार्थी/अभियुक्त–फकरूद्दीन उर्फ सलीम पुत्र श्री अल्लाबक्श, आयु 50 वर्ष, निवासी म.न.–229/20, शोरगरान मौहल्ला, दरगाह, अजमेर (राज.)** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त आदेश की एक प्रति प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित की जावें।

(उत्तमा माथुर)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
(महिला उत्पीड़न प्रकरण) अजमेर

8. आदेश आज दिनांक 07 मार्च, 2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(उत्तमा माथुर)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
(महिला उत्पीड़न प्रकरण) अजमेर

VIJAY KUMAR JAISWAR
Digitally signed by VIJAY KUMAR JAISWAR
Date: 2026.03.07 16:41:39 +0530

AUTHENTICATED DOCUMENT